क्रम-संख्या—34

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 03 मार्च, 2025 ई0

(फाल्गुन 12, 1946 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-4101/दस-लाइसेंस-33/माडल शाप नियमावली/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 03 मार्च, 2025 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0-18

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना संख्या-17951/दस-लाइसेंस-33/वि.म.-माडल शाप/2003-04 दिनांक 03, सितम्बर, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2025

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) **(अठारहवां संशोधन) नियमावली, 2025** कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-**2** का संशोधन-उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-2 के उपनियम (1) में,- (क) नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान **खण्ड (ञ)** के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया **खण्ड** रख दिया जायेगा**,** अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
(ङ) **"**धरोहर धनराशि**"** का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है**,** जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-10 के उपबंधों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;	**(ङ)- निकाल दिया गया।**

(**ख**) **नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (ञ) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा**, **अर्थात्:-**

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
(ञ) **"**अनुक्रम**"** का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;	**(ञ)** "**अधिक्रम"** का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये कम्प्युटर **आधारित** यादृच्छिक **करण की प्रक्रिया** के माध्यम से दुकान आवंटन **के आधार हेतु तात्पर्यित** लाइसेंस फीस के अवरोही क्रम से है।

3-नियम-6 का संशोधन-उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
6- लाइसेंस की अवधि- लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु लाइसेंसधारी की इच्छानुसार अनुज्ञापन अगले आबकारी वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।	6- लाइसेंस की अवधि- लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु अगले आबकारी वर्ष हेतु लाइसेंसधारी का चयन **इस नियमावली के** नियम-9 के अनुसार किया जायेगा।

4. नियम 9 का संशोधन -उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
9-लाइसेंसधारी का चयन- कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, माडल शाप के लिए स्थान चिन्हित कर आबकारी आयुक्त से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर जिला में प्रसार वाले समाचार पत्रों व अन्य ऐसे माध्यम जिन्हें वह उचित समझे द्वारा व्यापक प्रचार के पश्चात् आन लाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। किसी क्षेत्र विशेष के लिए लाइसेंसधारी का चयन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-	9- लाइसेंसधारी का चयन- (1)(**क) किसी दुकान के लिए लाइसेंसधारी का चयन ई-लाटरी, ई-नवीकरण तथा ई-टेण्डर की तीन प्रक्रियाओं में से किया जायेगा जो उस विशिष्ट वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट हो।** **(ख) राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष हेतु नवीकरण की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का दुकानवार चयन, आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा/तथा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा ई-नवीकरण विनिर्दिष्ट किया जाता है किन्तु लाइसेंसधारी द्वारा नवीकरण का अनुरोध नहीं किया जाता या नवीकरण हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो, ऐसी स्थिति में भी पूर्वोल्लिखित ई-लाटरी अथवा/तथा ई-टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी, आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और ग्राह्य एवं अग्राह्य आवेदनों की सूची, अग्राह्यता के कारणों को वर्णित करते हुए तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो निम्नानुसार होगी :-**

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो,	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(दो) लाइसेंस का नवीनीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ई-लाटरी अथवा ई-निविदा के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची तैयार करेगा, जिसमें अपात्रता के कारणों का उल्लेख होगा और यह सूची ई-लाटरी तथा ई-निविदा हेतु गठित लाइसेंस की जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(एक)	**जिला का कलेक्टर**	**अध्यक्ष**
(दो)	**सम्बन्धित जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त के अनिम्न रैंक का हो।**	**सदस्य**
(तीन)	**आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी**	**सदस्य**
(चार)	**जिला का जिला आबकारी अधिकारी**	**सदस्य/सचिव**

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चालित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-निविदा द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी उसी अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी। परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन सीमा लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी के पक्ष में लाइसेंस नवीनीकरण और नामंतरण से संबंधित मामलों के लिये लागू नहीं होगा। परन्तु यह और भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों के नवीनीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा। (ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताए पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेगा।	**(ग) यदि दुकान का नवीकरण कर दिया गया हो और नवीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा उक्त लाइसेंस के संचालन हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो नवीकरण हेतु जमा धनराशि (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक वारिस को प्रतिदाय कर दिया जायेगा।** **(2) ई-लाटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से नियम-(2)(1)(त्र) में यथापरिभाषित प्रत्येक श्रेणी में अधिक्रम के अनुसार देशी मदिरा दुकानों, माडल शाप, कम्पोजिट दुकानों तथा भांग की दुकानों के क्रम में दुकानवार लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर आधारित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा।** **(3) यदि लाइसेंसधारी का चयन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाता है तो टेण्डर/आफर आमंत्रित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।** **(4) सम्पूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति को सभी श्रेणी की देशी मदिरा दुकानों, माडल शाप, कम्पोजिट दुकानों एवं भांग की दुकानों सहित दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।** **परन्तु यह कि नवीकरण/नामांतरण के मामलों में पूर्वोक्त निर्बन्धन विधिक वारिस/परिवार के सदस्य/निकट सम्बन्धी के पक्ष में लागू नहीं होगा।** **परन्तु यह और कि यदि किसी आवेदक के पक्ष में राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण किया गया हो अथवा पहले से ही व्यवस्थापित हो, वह ई-लाटरी / ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के अग्रतर आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।**

स्तम्भ-एक विद्यमान **खण्ड**	स्तम्भ-**दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **खण्ड**
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या ई-लाटरी के प्रथम चक्र में किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।	**(5) ई-लाटरी अथवा ई-नवीकरण अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति के लिए लाइेसंस फीस और प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा समय-सारिणी में एवं विनिर्दिष्ट रीति से जमा करना तथा अन्य सभी विनिर्दिष्ट औपचारिकताएं पूरी करना तथा विहित समयावधि के भीतर उपयुक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि चयनित व्यक्ति उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन/लाइसेंस को निरस्त कर देगा और दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठायेगा।** **(6) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए यथा स्थिति ई-लाटरी, ई-नवीनीकरण अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रकिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।**

(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 4101/X-License-33/Model Shop Niyamawali/2025-26

Prayagraj, Dated : March 03, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) Rules, 2003 published vide Notification no. 17951/X-Licence-33/F.L.Model Shop/2003-2004, dated September 03, 2003 (as amended from time to time), namely:-

The Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) (Eighteenth Amendment) Rules, 2025

1. **Short title and commencement**–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) **(Eighteenth Amendment)** Rules, **2025.**

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 2**–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Retail Licences for Model Shop of Foreign Liquor) Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, in sub-rule (1) of rule 2,—

(a) for the existing clause (e) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing clause)*	**Column-II** *(Clause as hereby substituted)*
(e) "Earnest Money" means the amount equal to one-tenth of the amount of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule 10 of these rules;	**(e) Omitted**

(b) for the existing clause (j) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing clause)*	**Column-II** *(Clause as hereby substituted)*
(j) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery;	**(j) "Hierarchy" means the descending order of the licence fee of shops purported to be the basis for shop allotment through the process of computer based randomization in e-lottery for selection of licencee;**

3. **Amendment of rule 6**–In the said rules, for the existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
6. Period of licence The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted, but the licence may be renewed or extended on the desire of the licensee for the next year according to the parameter of consumption as fixed by the State Government.	**6. Period of License** **The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted, but the selection of licencee for the next excise year shall be in accordance with the rule 9 of these rules**.

4. **Amendment of rule 9**–In the said rules, for the existing rule 9 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I

(Existing rule)

9. Selection of licensee

The Collector/ Licensing Authority shall identify areas for model shops and after prior approval from Excise Commissioner invite online applications after giving wide publicity through news papers having circulation in the District and such other means which he may deem fit. Licensee for a particular area shall be selected among the eligible candidates by the District Level Committee which is as follows:-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/ Secretary

(a) (i) Licenses of shops shall be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

(ii) In case of non-renewal, of licences, licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

Column-II

(Rule as hereby substituted)

9. Selection of licencee

(1) (a) The licencee for a shop shall be selected from amongst the three processes of e-lottery, e-renewal and e-tender whichever is/are specified by the State Government for that particular year.

(b) In case e-renewal is not specified by the State Government for a particular year, the shop wise selection of licencee shall be made through the process specified by the State Government through e-lottery or/and e-tender by inviting online applications. If e-renewal is specified by the State Government but renewal is not requested by the licencee or licencee has been found ineligible for renewal, then in such case also the aforementioned process of e-lottery or/and e-tender will be adopted. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare a list of all admissible and inadmissible applications, describing the reasons of inadmissibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing which shall be as follows:-

(i)	**The Collector of the District**	**Chairperson**
(ii)	**The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the district concerned or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the Police Commissionerate concerned.**	**Member**
(iii)	**One Gazetted Officer of the Excise Department nominated by the Excise Commissioner**	**Member**
(iv)	**The District Excise Officer of the District**	**Member/Secretary**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State: Provided that the aforesaid restriction limit shall not be applicable to the matter related to renewal and mutation of licenses in favor of legal heir/family member/close relative of deceased licensee/licensees in the event of death of licencee/licensees as per procedure mentioned in rule-8(a). Provided further that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery. (c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government. (d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop in first round of e-lottery the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process prescribed by the Government.	(c) If the shop has been renewed and if the licencee dies after depositing the renewal fee and none of his legal heirs or nominees apply for the operation of the said licence or if the legal heir/ nominee are not found eligible for the purpose, the amount deposited for renewal except processing fee, shall be refunded in favor of the legal heir. (2) In case of e-lottery, the shop wise licencee shall be selected from amongst the eligible applicants through computer-based randomization process in sequence of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops categories as per the hierarchy in each category as defined in rule 2(1)(j). (3) In case the selection of licencee is done through e-tender, the process of inviting tender/offer shall be specified by the State Government. (4) Not more than two shops including all categories of country liquor shops, model shops, composite shops and bhang shops shall be allotted to any person in the entire State: Provided that the aforesaid restriction shall not apply in matters of renewal/mutation in favour of legal heir/family member/close relative: Provided further that in case two or more shops are renewed or already settled in the State in favour of an applicant, he/she shall not be eligible for further allotment of shops through e-lottery/e-tender. (5) It shall be mandatory for the person selected as licencee through e-lottery or e-renewal or e-tender to deposit licence fee and security in the time schedule and in the manner specified by the State Government and, complete all other specified formalities and make arrangement for appropriate shop premises within the prescribed time period. In case the person selected as licencee does not comply with the above, the Licensing Authority shall cancel the allotment/licence and shall take necessary steps for the resettlement of the shop as specified by the State Government .

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
	(6) In case there is no application for a particular shop in e-lottery or e-renewal or e-tender process, as the case may be, or no candidate is found suitable for the shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as specified by the State Government.

By order,

Dr. Adarsh Singh,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-22 असाधारण गजट-03.03.2025-125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।